

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016¹

[23-07-2019 तक संशोधित]

आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी002—दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31 की धारा 196, धारा 201, धारा 202, धारा 219, धारा 220 और धारा 240 के साथ पठित बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके अनुसार दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के विनियमन के ढांचे के लिए उपबंध करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

अध्याय I

प्रारंभिक

लघु शीर्ष एवं आरम्भ

1. (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।
(2) ये विनियमन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2. (1) इन विनियमनों में जब तक अन्यथा अभिप्रेत न हो-

(क) संहिता का आशय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 है;

(ख) 'नियंत्रण' का अर्थ वही होगा जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) के अंतर्गत दिया गया है।

(ग) "पंजीकरण प्रमाण-पत्र" का आशय बोर्ड द्वारा इन विनियमनों के अन्तर्गत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या उसके नवीनीकरण से है।

¹ अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी002, दिनांकित 21-11-2016, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित।

(घ) 'निवल मूल्य' का अर्थ वही होगा जो इसे कंपनी अधिनियम की धारा 2(57) के अन्तर्गत दिया गया है।

(2) जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जिसे इन विनियमनों में परिभाषित नहीं किया गया है का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संहिता में प्रदान किया गया है।

अध्याय II

पंजीकरण

पंजीकरण के लिए पात्रता

²3. रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता-(1) कोई भी व्यक्ति दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी नहीं है, और -

(क) उसका एकमात्र उद्देश्य संहिता के अधीन किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के कृत्यों का निर्वहन करना है;

(ख) उसकी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 के अनुसार उप-विधियां और संचालन ढांचा है;

(ग) उसका कुल मूल्य कम से कम दस करोड़ रुपए है;

(घ) उसकी समादत्त शेयर पूंजी पांच करोड़ रुपए है;

(ङ) वह भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति के नियंत्रणाधीन नहीं है;

(च) उसकी उनचास प्रतिशत से अनधिक शेयर पूंजी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत के बाहर निवासी किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित नहीं है;

(छ) वह एक से अधिक स्तर पर किसी निगमित निकाय की समनुषंगी नहीं है; और

(ज) आवेदक, उसके संप्रवर्तक, उसके निदेशक और उसके शेयरधारक उपयुक्त और समुचित व्यक्ति हैं ।

स्पष्टीकरण 1 - खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, किसी निगमित निकाय के संबंध में "स्तर" पद से उसकी समनुषंगी अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2 - बोर्ड, इस बात का अवधारण करने के लिए कि कोई व्यक्ति खंड (ज) के अधीन उपयुक्त और समुचित है अथवा नहीं, किसी भीऐसी विचारणा को ध्यान में रख

² अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.033, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सकेगा, जो वह उचित समझे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मानदंड आता है किन्तु यही तक सीमित नहीं है -

- (i) सत्यनिष्ठा, ख्याति और चरित्र,
- (ii) दोषसिद्धि और अवरोध आदेशों का न होना, और
- (iii) सक्षमता, जिसके अंतर्गत वित्तीय शोधन क्षमता और कुल मूल्य है ।

(2) कोई व्यक्ति, किसी भी समय व्यक्ति रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की पांच प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी अर्जित या धारित नहीं करेगा ।

परन्तु -

- (i) कोई स्टॉक एक्सचेंज;
- (ii) कोई निक्षेपधारी;
- (iii) कोई बैंकिंग कंपनी;
- (iv) कोई बीमा कंपनी;
- (v) कोई लोक वित्तीय संस्था; और
- (vi) कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्था,

व्यक्ति रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की पन्द्रह प्रतिशत तक समादत्त साधारण शेयर पूंजी अर्जित या धारित करे सकेगी:

परन्तु यह और कि -

- (i) केन्द्रीय सरकार;
- (ii) कोई राज्य सरकार; और
- (iii) कोई कानूनी विनियामक,

किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः शत-प्रतिशत तक समादत्त साधारण शेयर पूंजी अर्जित या धारित कर सकेगा ।

पंजीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन

4. (1) एक कंपनी जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसीके रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है बोर्ड को इन विनियमनों की अनुसूची के प्रारूप 'क' में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क दस लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है।

- (2) एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसे विनियम 5 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है। ऐसे पंजीकरण की समाप्ति के छह महीने पहले इन विनियमनों की अनुसूची के प्रारूप 'क' में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क पांच लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है।
- (3) बोर्ड इन विनियमन के अन्तर्गत आवेदन की पावती प्राप्ति के सात दिवस के भीतर देगा।
- (4) बोर्ड आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को आवेदन में यदि कोई कमी हो, को दूर करने का अवसर देगा।
- (5) बोर्ड आवेदक से तर्कसंगत समय के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण जो वह उचित समझे प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखेगा।
- (6) बोर्ड आवेदक से तर्कसंगत समय के भीतर बोर्ड के समक्ष व्यक्तिशः और इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिये आवेदन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखेगा।

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना

5. (1) यदि बोर्ड ऐसे निरीक्षण या जांच के बाद, जो वह आवश्यक और संहिता की धारा 200 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के संबंध में संतुष्ट होने के बाद कि -

- (क) विनियम 3 के अन्तर्गत पात्र है;
- (ख) संहिता के अन्तर्गत इसके कार्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त अवसंरचना है;
- (ग) इसके नियोजन में व्यक्तियों के पास पर्याप्त व्यावसायिक और अन्य सुसंगत अनुभव हैं जो उन्हें संहिता के अन्तर्गत कार्य निष्पादित करने के लिए सक्षम बनाता है; और
- (घ) यदि उसने विनियमन 4(2) के अन्तर्गत नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है तो उसने पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए सभी शर्तों का पालन किया है।

वह आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीनीकरण दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में गतिविधियां चलाने के लिए इन विनियमनों की अनुसूची में प्रारूप 'ख' में आवेदन की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर उस समय के अलावा जो बोर्ड ने कमियों या अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने, सूचना या स्पष्टीकरण या व्यक्तिशः उपस्थित होने या जैसा भी मामला हो में, के लिए दिया हो, जारी कर सकेगा।

(2) पंजीकरण शर्तों के अधीन होगा की दिवाला व्यावसायिक एजेंसी-

(क) संहिता, नियमों, विनियमनों और उसके अन्तर्गत दिशा-निर्देश और इसकी उपविधियों का पालन करेगी;

(ख) प्रमाण-पत्र प्राप्ति के बाद सभी समय उप-विनियम 1 के अन्तर्गत आवश्यकताओं की लगातार संतुष्टि करेंगे;

³ [(ग) बोर्ड को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पांच लाख रुपए की वार्षिक फीस का संदाय करेगी:

परन्तु उस वित्तीय वर्ष में, जिसमें दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण प्रदान किया जाता है, कोई वार्षिक फीस संदेय नहीं होगी:

परन्तु यह और कि ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा, किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा फीस के संदाय में किए गए किसी विलंब को तब तक बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज लगेगा, जब तक उसका संदाय नहीं कर दिया जाता है ।

दृष्टांत

(क) जहां किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ दस लाख रुपए की आवेदन फीस की प्राप्ति के पश्चात् तारीख 1 दिसम्बर, 2016 को रजिस्ट्रीकृत की गई है वहां वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए किसी अतिरिक्त फीस का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं है । वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पांच लाख रुपए की वार्षिक फीस तारीख 1 अप्रैल, 2017 को देय हो जाती है और उसका संदाय 15 अप्रैल, 2017 तक करना होगा । इसी प्रकार, वह 1 अप्रैल, 2018 को देय हो जाती है, जिसका संदाय 15 अप्रैल, 2018 तक करना होगा, 1 अप्रैल, 2019 को देय हो जाती है, जिसका संदाय 15 अप्रैल, 2019 तक करना होगा, 1 अप्रैल, 2020 को देय हो जाती है, जिसका संदाय 15 अप्रैल, 2020 तक करना होगा और 1 अप्रैल, 2021 को देय हो जाती है, जिसका संदाय 15 अप्रैल, 2021 तक करना होगा । इसके पश्चात्, दिवाला व्यावसायिक एजेंसी पांच लाख रुपए की आवेदन फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेगी । यदि नवीकरण अनुदत्त किया जाता है तो वर्ष 2021-22 के लिए कोई वार्षिक फीस नहीं होगी ।

³ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.044, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) जहां वार्षिक फीस का संदाय 20 अप्रैल, 2017 को किया जाता है वहां पांच दिन के विलंब के लिए बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज संदेय होगा ।।

(घ) बोर्ड की अनुमति प्राप्त करेंगे जब व्यक्ति जो निगमित निकाय से भिन्न हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिवाला व्यवसायिक एजेंसियों की 10% से अधिक शेयरपूंजी धारित करे;

(ङ) शिकायतों के निपटान के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे; और

(च) ऐसी अन्य शर्तें जो विनिर्दिष्ट की जाएं पालन करेंगे।

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

आवेदन निरस्त करने की प्रक्रिया

6.(1) विनियमन 4, के अन्तर्गत आवेदन पर विचार करने के बाद यदि बोर्ड की प्रथम दृष्टा राय हो की पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाए या नवीकृत या प्रदान न किया जाए या नवीकृत अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाए वह ऐसी राय कायम करने के कारणों को सूचित करेगा और आवेदक को यह बताने के लिए अवसर देगा कि क्यों उसका आवेदन स्वीकार किया जाए, बोर्ड द्वारा सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उसको अपनी अंतिम राय कायम करने में सक्षम बनाएगा।

(2) उप-नियमन (1) के अधीन आवेदक को आवेदन प्राप्ति की तारीख के 45 दिन के अंदर सूचना दी जाएगी जिसमें बोर्ड द्वारा त्रुटियों को दूर करने, अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, जैसा भी मामला हो, के लिए दिया गया समय शामिल नहीं है।

(3) उप-नियमन (1) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि हो, पर विचार करने के बाद, बोर्ड अपना निर्णय निम्नलिखित को सूचित करेगा -

(क) यथास्थिति पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ आवेदन की स्वीकृति; या

(ख) आदेश द्वारा आवेदन अस्वीकृत करना, और ऐसा करने के कारण

स्पष्टीकरण प्राप्ति के 30 दिन के अंदर।

(4) पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन अस्वीकृत करने के आदेश के पश्चात दिवाला व्यावसायिक एजेंसी से अपेक्षित होगा -

- (क) लंबित दायित्वों का निर्वहन,
- (ख) किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के साथ अपने सदस्यों का नामांकन करने के लिए यथानिर्दिष्ट समय तक अपने कार्यों को जारी रखना, और
- (ग) अन्य उचित समझे जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना।

अध्याय-III

पंजीकरण लौटाना या रद्द करना

पंजीकरण लौटाना

7. (1) कोई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी बोर्ड को पंजीकरण प्रमाण पत्र लौटाने के लिए आवेदन निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत कर सकती है -

- (क) ऐसी वापसी के कारण;
- (ख) इसके साथ नामांकित दिवाला व्यावसायिकों की संहिता के अधीन सभी लंबित या चालू नियुक्तियों का विवरण;
- (ग) सभी लंबित या चालू कार्यकालापों का विवरण;
- (घ) वह रीति जिसमें यह दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में अपने कार्यों के समापन का प्रयास कर रही है।

(2) यह बोर्ड आवेदन प्राप्ति के सात दिन के अंदर उस आवेदन की प्राप्ति की एक सूचना अपनी वेबसाइट पर रखेगा और पंजीकरण वापसी के लिए आपत्तियां आमंत्रित करेगा जो सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी।

(3) उप नियमन (2), के अधीन प्रस्तुत आवेदन और आपत्तियों, यदि हों, पर विचार करने के बाद यह बोर्ड आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 30 दिन के अंदर ऐसी शर्तों, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, के अधीन पंजीकरण की वापसी के आवेदन को अनुमोदित करेगा।

(4) उप-नियमन (3) के अधीन अनुमोदन के लिए दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होगा -

(क) कोई लंबित दायित्व पूरे करना; या

(ख) किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के साथ अपने सदस्यों का नामांकन करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट समय तक अपने कार्यों को जारी रखना।

(5) यह बोर्ड संतुष्ट होने पर कि उक्त नियमन (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस प्रकाशित करेगा कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा पंजीकरण की वापसी प्रवृत्त हो गई है।

अनुशासनिक कार्यवाही

8. (1) जांच या निरीक्षण के निष्कर्षों या अन्यथा उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यदि इस बोर्ड का प्रथम दृष्टया यह मत है कि धारा 220 के अधीन अनुमेय कार्यवाई करने के लिए पर्याप्त कारण हैं तो वह दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(2) यह कारण बताओ नोटिस लिखित रूप में होगा और इसमें बताया जाएगा -

(क) संहिता के उपबंध जिनके अधीन यह जारी किया गया है;

(ख) तथाकथित तथ्यों के ब्यौरे;

(ग) तथाकथित तथ्यों के समर्थन में साक्ष्यों के ब्यौरे;

(घ) संहिता, इसके अधीन नियमों, विनियमनों या दिशानिर्देशों के उपबंध जिनके अधीन उल्लंघन का आरोप है या वह रीति जिसमें जनहित तथाकथित रूप से प्रभावित हुआ है;

(ङ) वह कार्यवाई या निदेश जो यह बोर्ड आरोप प्रमाणित होने पर करने या जारी करने का प्रस्ताव करता है;

(च) वह रीति जिसमें दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर देना अपेक्षित है;

(छ) कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर न देने के परिणाम; और

(ज) कारण बताओ नोटिस के निपटान के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया।

(3) कारण बताओ नोटिस के साथ संबंधित दस्तावेजों और जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट के संबंधित भागों के उद्धरण या अन्य रिकार्डों की प्रतिलिपियां लगाई जाएंगी।

(4) कारण बताओ नोटिस किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को निम्नलिखित रीति से दिया जाएगा -

(क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को इसके पंजीकृत कार्यालय में पावती की अपेक्षा के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर;

(ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा बोर्ड को दिए गए ई-मेल पते पर समुचित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा।

(5) यह बोर्ड कारण बताओ नोटिस के निपटान के लिए एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगा।

(6) अनुशासनिक समिति जो उपनियम (5) के अधीन गठित की गई हो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए तर्कसंगत रूप से दिए गए कारण बताओ नोटिस का निपटान करेगी।

(7) अनुशासनिक समिति कारण बताओ नोटिस सौंपे जाने के छः माह के अंदर निपटान करने का प्रयास करेगी।

(8) अनुशासनिक समिति दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत विवरण, यदि हो, पर विचार करेगी।

(9) अनुशासनिक समिति संबंधित भौतिक तथ्यों और परिस्थितियाँ तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद एक तर्कसंगत आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस का निपटान करेगी।

(10) कारण बताओ नोटिस के निपटान के आदेश में प्रावधान होगा-

(क) कोई कार्रवाई नहीं;

(ख) चेतावनी;

(ग) धारा 220(2) से (4) के अधीन कोई कार्रवाई; या

(घ) बोर्ड को धारा 220(5) के अधीन कोई कार्रवाई करने का निदेश देना।

(11) उक्त नियमन (10) के अधीन पारित कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आदेश जारी करने की तारीख के बाद तीस दिन समाप्त न हो जाएं और अनुशासनिक समिति अपने आदेश में ऐसा करने कारणों के साथ अन्यथा न कहे।

(12) उक्त नियमन (10) के अधीन पारित आदेश दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को तत्काल जारी किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(13) यदि उप-नियमन (10) के अधीन पारित कोई आदेश दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पंजीकरण को निलंबित या रद्द करता है तो अनुशासनिक समिति दिवाला व्यावसायिक एजेंसी से अपेक्षा करेगी -

(क) लंबित दायित्वों को पूरा करना;

(ख) किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के साथ अपने सदस्यों को नामांकित करने के लिए यथानिर्दिष्ट समय तक अपने कार्यों को जारी रखना; और

(ग) उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य निदेश का अनुपालन करना।

अपील

9. संहिता की धारा 202 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 के भाग-III में विहित रीति से आरोप आदेश प्राप्ति के तीस दिन के अंदर अपील की जा सकती है।

अध्याय-IV सैद्धांतिक अनुमोदन

सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना

10. (1) कोई व्यक्ति जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी स्थापित करना चाहता है, यह प्रदर्शित करते हुए कि उप विनियमन (2) में सभी शर्तों को पूरा किया गया है, दस लाख रुपये की गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन फीस के साथ सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) यदि बोर्ड आवश्यक समझे जाने वाले निरीक्षण या जांच के बाद संतुष्ट है कि -

(क) आवेदक एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है; और

(ख) प्रस्तावित या विद्यमान कंपनी जो पंजीकरण प्राप्त कर सकती है, विनियमन 5(1) के अधीन पंजीकरण प्रदान करने के लिए अपेक्षाओं को पूरा करेगी,

सैद्धांतिक अनुमोदन दे सकता है जो अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा और उपयुक्त समझे जाने वाली शर्तों के अधीन होगा।

(3) सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता के दौरान उक्त नियमन 2(ख) में उल्लिखित कंपनी बोर्ड को उप-नियमन 4(1) के अनुरूप दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में पंजीकरण के प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकती है परंतु उसे पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

अनुसूची

प्रारूप क

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016 के विनियम 4 के तहत)

सेवा में,

अध्यक्ष

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

[पता लिखें]

प्रेषक

[नाम और पता]

विषय : दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन।

महोदय/महोदया,

1. मैं, इस उद्देश्य के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हूं और, (आवेदक का नाम और पता) की ओर से निम्नलिखित के लिए आवेदन करता हूं

(क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने हेतु, अथवा

(ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु,

यह आवेदन करने के लिए और इस संबंध में बोर्ड के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए मुझे प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक प्रति संलग्न करता हूं।

2. आवेदक के संगम अनुच्छेद, संगम ज्ञापन और उप-विधियों, जो लागू हैं, की एक-एक प्रति संलग्न की गई हैं।
3. मैं, [नाम लिखें] की ओर से प्रतिज्ञान करता हूँ कि आवेदक एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप रजिस्टर किए जाने का पात्र है।
4. मैं, [नाम लिखें] की ओर से प्रतिज्ञान करता हूँ कि -
 - (क) इस आवेदन में दी गई समस्त सूचना सत्य और सभी प्रकार से सही है,
 - (ख) इस आवेदन के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है, और
 - (ग) इस आवेदन के अनुसरण में किया गया रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण संक्षेपतः रद्द किया जा सकता है, यदि दी गई कोई भी सूचना गलत या किसी भी स्तर पर तथ्यात्मक रूप से भ्रामक पायी जाती है।
5. यदि रजिस्ट्रीकरण किया जाता है तो मैं, [नाम लिखें] की ओर से वचन देता हूँ कि संहिता, नियमों, विनियमों या इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों और अन्य कोई शर्तों और निबंधनों, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दी गई है या बाद में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या लागू की जाने वाली अपेक्षाओं का पालन करूंगा।

भवदीय,

हस्ताक्षरित
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम)
(पदनाम)

दिनांक :

स्थान :

प्रारूप 'क' का अनुलग्नक

भाग I

सामान्य

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता
3. कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
4. स्थायी खाता संख्या (पैन)
5. उस व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क का विवरण, जिसे यह आवेदन करने और इस संबंध में बोर्ड के साथ पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भाग II

संगम

संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और उप-विधियां

6. कृपया बताएं कि क्या संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और उप-विधियां भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यवसायिक एजेंसियों का शासकीय बोर्ड) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायिक एजेंसियां) विनियम, 2016 के अपेक्षित सभी मामलों की अपेक्षाओं और अनुपालन हो रहा है

(हां/नहीं)

7. कृपया उप-विधियों के प्रावधानों की खंड संख्या का उल्लेख करें, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यवसायिक एजेंसियों का शासकीय बोर्ड) विनियम, 2016 में विनिर्दिष्ट आदर्श उप-विधियों के प्रावधानों के अलावा है (यदि कोई है तो)।

भाग III

शेयरधारिता और वित्तीय सुदृढ़ता

8. कृपया आवेदक की शेयर पूंजी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ⁴[5%] से अधिक शेयर धारित व्यक्तियों का विवरण दें।

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम और पता	पैन/पासपोर्ट संख्या और जारी करने वाला देश/कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या	आवेदक कंपनी और/अथवा धारित कंपनी में शेयर धारित का प्रतिशत

⁴ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.033, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

9. क्या भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास आवेदक की शेयरपूंजी का 49% से अधिक औसत शेयर है? कृपया विवरण दें।
10. आवेदक पर किसका नियंत्रण है? कृपया विवरण दें।
11. क्या भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति का प्रबंध या आवेदक के नीति निर्णयों पर नियंत्रण होता है? यदि हां तो कृपया विवरण दें।
12. कृपया निम्नलिखित का पिछले तीन वर्षों या कंपनी के निगमन के तारीख से, जो भी कम है, का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दें :-
- (क) ऐसी कंपनी, जिसके पास आवेदक की शेयरपूंजी का 10% से अधिक है (यदि कोई है तो)
- (ख) ऐसी कंपनी, जिस पर आवेदक का नियंत्रण है (यदि कोई है तो),
- (ग) प्रवर्तक कंपनी (यदि कोई है तो),
- (घ) स्वयं आवेदक।
13. कृपया यह बताने के लिए कोई भी अन्य सूचना दें कि कंपनी की शेयर पूंजी का ⁵[5%] से अधिक शेयर धारण करने वाले व्यक्ति और कंपनी के प्रवर्तक उचित और सही व्यक्ति है।

भाग IV

निदेशक और कर्मचारी

14. कृपया आवेदक के निदेशक मंडल का विवरण दें :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम और पता	डीआईएन और पैन	निदेशकों के विरुद्ध कोई लंबित या समाप्त आपराधिक कार्रवाई का विवरण

15. कृपया यह बताने के लिए कोई अन्य सूचना दें कि निदेशक उचित और सही व्यक्ति हैं।
16. कृपया कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या बताएं।

भाग V

अवसंरचना

⁵ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.033, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

17. कृपया आवेदक की वर्तमान अवसंरचना और एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में अपने कार्य करने के लिए तथा इसे योग्य बनाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचना का निम्नलिखित सहित उल्लेख करें :

(क) कार्यालयों की संख्या और स्थान,

(ख) नामांकन, निगरानी, शिकायत निवारण और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में अवसंरचना,

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर सुविधाएं, और

(घ) पुस्तकालय और प्रशिक्षण सुविधाएं।

भाग VI

अनुपालन

[रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन हेतु]

18. कृपया दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुपालन का विवरण दें।

19. कृपया दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा रिपोर्टिंग के संबंध में बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण दें।

20. कृपया दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के विरुद्ध या इसके द्वारा इसकी उप-विधियों, बोर्ड के किसी विनियम या संहिता के तहत की गई कोई शिकायत निवारण कार्रवाई का विवरण दें।

कृपया ऐसा अन्य कोई विवरण भी दें जो आप अपने आवेदन के समर्थन में प्रासंगिक मानते हैं।

हस्ताक्षरित

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

दिनांक :

स्थान :

अनुसूची
प्रारूप ख
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसरण में दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए _____[नाम और पता लिखें] के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अनुमोदित/नवीनीकरण करता है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिनांक [प्रारंभ होने की तारीख लिखें] से दिनांक [समाप्त होने की तारीख लिखें] तक वैध होगा और इसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

हस्ताक्षरित
(नाम और पदनाम)
(भारतीय दिवाला और शोधनअक्षमता बोर्ड के लिए औरकी ओर से)

स्थान :
दिनांक :

डॉ. एम.एस. साहू
अध्यक्ष
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड